जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 23)

[26 सितम्बर, 2020]

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाओं और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों और उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत कर सकेगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''प्रशासक'' से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उप राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) ''संघ राज्यक्षेत्र'' से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।

संघ राज्यक्षेत्र की राजभाषाएं।

3. संघ राज्यक्षेत्र के सभी या किन्ही शासकीय प्रयोजनों के लिए कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाएं उस तारीख से, जो प्रशासक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, प्रयोग की जाने वाली राजभाषाएं होंगी:

परंतु अंग्रेजी भाषा संघ राज्यक्षेत्र में उन प्रशासनिक और विधायी प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी जिनके लिए यह इस अधिनियम के लागू होने से पहले प्रयोग में लाई जाती थी:

परंतु यह और कि संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में कारबार का संचालन संघ राज्यक्षेत्र की राजभाषा या भाषाओं में किया जाएगा।

प्रादेशिक भाषाओं का संवर्धन और विकास।

4. (1) प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र की प्रादेशिक भाषाओं का संवर्धन और विकास करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र में कला, संस्कृति और भाषा अकादमी जैसे विद्यमान संस्थागत तंत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संस्थागत तंत्र गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी भाषाओं का संवर्धन और विकास करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे।

———————